(1) अपील/एल.आर./212/2002/बीकानेर
हमीदन बनाम मेहरूनिसा
(2) अपील/एल.आर./213/2002/बीकानेर
हमीदन बनाम अजीज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक अपीलांट श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक रेस्पो0 **दिनांक : 7.9.2021** **निर्णय** उक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 27/2000 एवं 29/2000 में पारित निर्णय दिनांक 11–1–2002 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलें के तथ्य, विषय–वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र राजीनामा पर सुनी गई। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य गांव के मोतबीर व्यक्तियों की समझाइश से राजीनामा हो गया है और उभय पक्षकार प्रकरणों का निस्तारण मुताबिक राजीनामा करवाना चाहते हैं। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की ओर से उक्त दोनों प्रकरणों में इस न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अनुसार प्रथम पक्ष श्रीमती मेहरूनिशा पुत्री अब्दुल अजीज पत्नी श्री अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला हाल निवासी पुरानी गिन्नानी बीकानेर, श्रीमती गुलशन बानो पुत्री श्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अब्दुल अजीज पत्नी श्री हमीद जाति मुसलमान निवासी 22 / सी, ज्वाला विहार फोर पुलिया, सीएचबी रोड जोधपुर, श्रीमती बुलबुल उर्फ चंचल पुत्री श्री अब्दुल अजीज पत्नी मौहम्मद सलीम जाति मुसलमान निवासी फोर्ट रोड भाटी पेट्रोल पम्प के पास नागौर, श्रीमती गुलजार उर्फ बेवी पुत्री अब्दुल अजीज पत्नी श्री अब्दुल सलीम निवासी सेक्टर 12 एमपी कॉलोनी बीकानेर तथा द्वितीय पक्ष श्रीमती हमीदन पत्नी श्री मोहम्मद हुसैन पंवार जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर हाल निवासी पुरानी गिन्नानी महाजन डेरे के सामने बीकानेर हैं। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत राजीनामा में यह अंकित किया है कि– हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच गांव के मोतबीर व्यक्तियों की समझाईज से राजीनामा हो गया है और राजीनामे अनुसार द्वितीय पक्ष हमीदन पत्नी श्री मौहम्मद हुसैन के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत अपील एल0आर0 संख्या 212 / 2002 जिला बीकानेर उनवानी हमीदन बनाम मेहरूनिशा व अन्य को, अपील एल0आर0 संख्या 213 / 2002 जिला बीकानेर उनवानी हमीदन बनाम मेहरूनिशा व अन्य को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 27 / 2000 उनवानी श्रीमती मेहरूनिसा बनाम श्रीमती हमीदन में पारित आदेश दिनांक 11.01.2002, अपील संख्या 29 / 2000 उनवानी अब्दुल अजीज बनाम श्रीमती हमीदन में पारित आदेश दिनांक 11.01.2002 को निरस्त किया जाकर अति0 जिलाधीश एवं सचिव मण्डी विकास समिति, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 83 / 1991 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2000 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करे। जिससे हम प्रथम पक्ष को व उनके वारिसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कि हम पक्षकारान के मध्य अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा। यह कि हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष यह राजीनामा अपने राजी खुशी होश हवास में बिना किसी दवाब के अपनी सहमति से गवाहान की मौजूदगी में लिखकर तस्दीक कर रहे हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत राजीनामा में पक्षकारान की पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई तथा उक्त दोनों राजीनामा को अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 5–4–21 को तस्दीक किया गया है। हमने पक्षकारान द्वारा दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। चूंकि दोनों पक्षकारान उपरोक्त राजीनामा के आधार पर उक्त प्रकरणों का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामा के आधार पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 27/2000 एवं 29/2000 में पारित निर्णय दिनांक 11–1–2002 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त दोनों प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति बीकानेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान के मध्य निष्पादित राजीनामा के आधार पर पूर्ण जांच एवं परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें। मण्डल के समक्ष उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत मूल राजीनामा अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति बीकानेर को प्रेषित किये जावें तथा उक्त दोनों राजीनामा की प्रमाणित फोटो प्रति मण्डल की दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। उभय पक्षकारान अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति बीकानेर के समक्ष दिनांक 27–10–2021 को उपस्थित हों। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	